

उनवान

1. इसार अहमद पिता इसाक खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. निहार अहमद पिता इसाक खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. कारुख खान पिता इसाक खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

—————(प्रार्थी)

बनाम

1. मुकबीत खां पिता सुल्तान खां पठान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. मुबरीक खां पिता सुल्तान खां पठान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. आजाद खां पिता हंसन खां पठान निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

—————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 11.04.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के त न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अलीनगर पटवार मण्डल 1 मु0अ0नि0 बेरा तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 23 के आ0न0 693/3, 714, 17/649 कुल किता 03 कुल रकबा 09-11 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया कर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह हिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नियत पेशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रस्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अलीनगर पटवार मण्डल बेरा 1 मु0अ0नि0 बेरा तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 23 के आ0न0 693/3, 714, 17/649 कुल किता 03 कुल रकबा 09-11 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बेरा को 1000/- रुपये का पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित अना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। अन्ततः उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा दोनों अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।



(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा, जिला भीलवाड़ा

नांक/प्रकरण संख्या/37/2017

तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

दिनांक: 11.04.2017


(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,